

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

मुंज 06/17 तारीख 11-1-17

उनवान - नाथानासिंह बनाम च्यारसिंह वगैरे पावरा

यावा बाबत तकास्मात स्थायी निषेधाज्ञा पाके की ओर से श्री हंसराम शर्मा एडवोकेट जे यावा बाबत तकास्मात स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत च्यार 53A 188 पेश किया। प्रस्तुत शपथपत्र व अमा बन्दी का अवलोकन किया गया। यावा दर्ज रजि- स्ट्र प्रीतिवादी गणों को जोरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 18/1 को पेश हो।

126-127 T.D.R  
128-30  
12.1.17

  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (कौली)

18-11)

वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 1 के फौत हो जाने की तामील करी की रिपोर्ट तथा प्रतिवादी नं. 5 का समान चस्याकी की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी नं. 6, 7 क्वचूद सूचना उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी नं. 2, 3, 4 के समान जारी नहीं हुए है। 1-0 ला. प्रीटिंग से कौली पधारे है। याले अग्रिम अज्ञेय दिनांक 23.11 को पेश हो।

3-1-17)

वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 5, 6, 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी वकील प्रतिवादी नं. 1 के कायम मुकाम व. पेश करे। 2, 3, 4 के समान जारी करे। दिनांक 31-1-17 को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
19.6.18	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक <u>18-7-18</u> को पेश हो। <i>श्रीवा</i>
18.7.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक <u>14-8-19</u> को पेश हो। <i>श्रीवा</i>
14.8.19	वादी वकील उप०/वादी लक्ष्य पेश करने दि० 12-9-19 को पेश हो।
12-9-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी काट पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक <u>1-10-19</u> को पेश हो। <i>श्रीवा</i>
1-10-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पारोली पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक <u>17-10-19</u> को पेश हो। <i>श्रीवा</i>
17.10.19	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं कई काट आवाज दिलवाई गई फिर भी वादी एवं वादी वकील में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में रजिस्ट्रिज किया जाता है पत्रावली फेरल शुमा (होका नमाले कम होका दारिखल दफतर हो। <i>श्रीवा</i>